

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया
राजस्व प्रार्थना पत्र. 07/2019

1. नारायण पुत्र श्री मांगू
2. कैलाश पुत्र श्री मांगू
3. सावरलाल पुत्र श्री मांगू
4. गीता पुत्री श्री मांगू
5. जस्सूदेवी पुत्री श्री मांगू

सभी जाति माली निवासी ग्राम जालिया द्वितीय, तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. सायर पुत्र श्री नानू जाति मेहरात निवासी ग्राम साईमाला तहसील विजयनगर ।
02. मनफूल पुत्र श्री सायर जाति मेहरात निवासी ग्राम साईमाला तहसील विजयनगर ।
03. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार विजयनगर जिला अजमेर ।

.....अप्रार्थीगण

राजस्व पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव धारा 111 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 46/1 रकबा 05-00-00 बिघा उनकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे ।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी सख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित होकर पत्थरगढी करने पर कोई ऐतराज नहीं किया एव अप्रार्थी सख्या 2 अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । ग्राम जालिया द्वितीय पटवार मंडल जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत 2073-76 के खाता संख्या 347 में खसरा नम्बर 226/46 रकबा 0.8090 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि -

आदेश

तहसीलदार विजयनगर को ग्राम जालिया द्वितीय स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 226/46 रकबा 0.8090 बिस्वा में मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें ।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया ।



(मोहनलाल खटनावलिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

